Secretary, ASRB

PUBLIC NOTICE

Appeal to Piped Natural Gas (PNG) customers of IGL in Delhi / Ghaziabad / Noida / Greater Noida

Dear Customers,

We appeal to all our esteemed LPG Consumers of IOCL, BPCL & HPCL who have migrated to PNG connections of IGL to surrender their LPG connection. As per the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) order, 2000, amended vide notification dated Sept. 10, 2009,supply of Domestic LPG to PNG Domestic customers is mentioned as Prohibited Activity. As such supply of Domestic LPG to PNG Domestic customers will be officially blocked.

In addition, an unused LPG cylinder-either full or empty can be a safety hazard. LPG cylinders are made of ferrous metal, which can get corroded over the years, causing LPG to leak from the rusted parts of cylinder. Even empty cylinders contain LPG vapours, which can create an unsafe environment in your home. For your safety, every cylinder is thoroughly checked at our LPG Bottling Plants. Therefore, it is in your interest to return your unused LPG cylinders.

When you surrender your LPG connection, you will get a Special Termination Voucher (TV) called **"Safe Custody TV for PNG Consumer"**. You can avail LPG connection in future on demand from any PSU Oil Company's Distributor. You can even transfer your connection to some one else in your family and relations, living in same city or elsewhere. The deposit amount mentioned in your Subscription Voucher will also be refunded to you.

To surrender the LPG connection, you need to simply call your Distributor and inform him about your willingness to surrender your connection. The Distributor's representative will get in touch with you for an appointment at your convenience. All formalities will be completed at your home without any botheration or cost to you.

Safety of your family is in your hands; please surrender unused LPG cylinder, individual communication is being sent by your Oil Company. Your LPG Distributor will be contacting you for this purpose.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

(Government of India)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली / गाजियाबाद / नोएडा / ग्रेटर नोएडा में आईजीएल के पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) उपभोक्ताओं से अपील

प्रिय उपभोक्ताओं,

हम, आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल के अपने सभी सम्मानित एलपीजी उपभोक्ताओं, जिन्होंने आईजीएल का पीएनजी क़नेक्शन लिया है, से अपील करते हैं कि वे अपने एलपीजी कनेक्शन को जमा करें। एलपीजी (आपूर्ति एवं वितरण के विनियम) आदेश 2000, जोकि अधिसूचना दिनांक 10, सितम्बर, 2009 के अनुसार संशोधित है, में पीएनजी उपभोक्ता को एलपीजी की आपूर्ति एक **'निषिद्ध गतिविधि'** दर्शाई गई है। पीएनजी उपभोक्ता को एलपीजी की आपूर्ति आधिकारिक रूप से बंद कर दी जाएगी।

इसके अलावा, कोई भी अप्रयुक्त एलपीजी सिलेंडर चाहे भरा हो या खाली आपकी सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर फेरस धातु के बने होते हैं, जिसमें कुछ वर्षों में जंग लग सकता है, जिससे सिलेंडर के जंग लगे भाग से एलपीजी लीक हो सकती है। यहाँ तक कि खाली सिलेंडर में भी एलपीजी वाष्प होती है, जोकि आपके घर के लिए असुरक्षित वातावरण सृजित कर सकती है। आपकी सुरक्षा के लिए हमारे एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर को अच्छी तरह जाँचा जाता है। इसीलिए, यह आपके हित में है कि आप अप्रयुक्त एलपीजी सिलेंडर को हमें वापिस कर दें।

जब आप अपना एलपीजी कनेक्शन जमा कर देगें तो आपको एक विशेष टर्मिनेशन वाउचर (टीवी) जिसे **"पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए सेफ कस्टडी"** कहा जाता है, दिया जाएगा। आप भविष्य में, किसी भी पीएसयू ऑयल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से माँग पर एलपीजी का कनेक्शन ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने परिवार या संबंधी चाहे वह उसी शहर में हो या कहीं ओर के नाम भी अपने कनेक्शन को बदल सकते हैं। शुल्क वाउचर में दर्शाई गई सुरक्षा राशि भी आपको वापिस कर दी जाएगी।

एलपीजी कनेक्शन जमा करने के लिए आपको केवल अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन कर अपने एलपीजी कनेक्शन को जमा करने के बारे में बताना है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर का प्रतिनिधि आपकी सुविधानुसार आपसे समय लेकर मिलेगा। सभी औपचारिकताएं आपके घर में बिना किसी झंझट या लागत के पूरी की जाएंगी।

आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। कृपया अपने अप्रयुक्त एलपीजी सिलेंडर को जमा करें। आपकी ऑयल कंपनी द्वारा आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा रहा है। आपका एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर इस संबंध में आपसे संपर्क करेगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(भारत सरकार)